

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक- 25-04-2025

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103- ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)- उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 326.17 मी० के निर्माण की राशि 2804.279 लाख (अठ्ठाईस करोड़ चार लाख सत्ताईस हजार नौ सौ रुपया मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख ₹० में)	अनुसंधान मद की राशि (लाख ₹० में)	कटिजेसी की राशि (लाख ₹० में)	कुल राशि (लाख ₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajauli	Akbarpur	Construction of HL RCC Bridge Over Khuri river in Gram Panchayat-Bakshanda	45.37	422.449	8.409	9.505	440.363
2	Phulparas	Ghoghardih a	Construction of HL RCC Bridge Over Sugarway river in 300m D/s of Sugarway Weir between Araria and Ghoghardiha road	34.26	377.312	6.474	8.489	392.275
3	Darbhang-2	Singhware	Construction of HL RCC Bridge at T02 to Paigambarpur path	30.14	295.552	1.707	6.650	303.909
4	Dalsinghsara i	Sarairanjan	Construction of HL RCC Bridge in Rampur (Jeetwarpur Kumihara Panchayat) from NH-322 to road Connecting Udupatti Via Lalchowk	38.76	360.322	1.742	8.107	370.171
5	Begusarai	Birpur	Construction of RCC HL Bridge (4x12.50) over river Kornuma at Saraunja village in Between Birpur and Laxmipur under Birpur block in district of Begusarai	52.44	361.300	2.180	8.130	371.610
6	Begusarai	Matihani	Const. of Puliya from Shahpur Prathmik Vidyalaya road to NH-31 Lakho	18.00	69.98	0.91	1.58	72.47
7	Jhanjharpur	Madhepur	Construction of HL RCC Bridge in Karhara to Malleh road over Bhutia Balan river Ch-2.10 Km.	68.48	480.992	5.079	10.822	496.893
8	Barsoi	Barsoi	Construction of HL RCC Bridge from Ganjan to Vibhor Hat road at CH.1.720 Km.	38.72	343.89	4.96	7.738	356.588
			कुल	326.17				2804.279

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4 (मु०) रा० यो०-07-11/2023 के पृष्ठ संख्या-72/टि० पर प्राप्त है।
10. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका सं० मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृ० सं०-11/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक 25.04.2025 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-
(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-25-04-2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-25-04-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103- ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)- उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 326.17 मी० के निर्माण की राशि 2804.279 लाख (अठारह करोड़ चार लाख सत्ताईस हजार नौ सौ रुपया मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख ₹० में)	अनुसूचना मद की राशि (लाख ₹० में)	कटिजेसी की राशि (लाख ₹० में)	कुल राशि (लाख ₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajauli	Akbarpur	Construction of HL RCC Bridge Over Khuri river in Gram Panchayat-Bakshanda	45.37	422.449	8.409	9.505	440.363
2	Phulparas	Ghoghardih a	Construction of HL RCC Bridge Over Sugarway river in 300m D/s of Sugarway Weir between Araria and Ghoghardiha road	34.26	377.312	6.474	8.489	392.275
3	Darbhanga-2	Singhwara	Construction of HL RCC Bridge at T02 to Paigambarpur path	30.14	295.552	1.707	6.650	303.909
4	Dalsinghsara i	Sarairanjan	Construction of HL RCC Bridge in Rampur (Jeetwarpur Kumihara Panchayat) from NH-322 to road Connecting Udaypatti Via Lalchowk	38.76	360.322	1.742	8.107	370.171
5	Begusarai	Birpur	Construction of RCC HL Bridge (4x12.50) over river Kornuma at Saraunja village in Between Birpur and Laxmipur under Birpur block in district of Begusarai	52.44	361.300	2.180	8.130	371.610
6	Begusarai	Matihani	Const. of Puliya from Shahpur Prathamik Vidyalaya road to NH-31 Lakho	18.00	69.98	0.91	1.58	72.47
7	Jhanjharpur	Madhepur	Construction of HL RCC Bridge in Karhara to Malleh road over Bhutia Balan river Ch-2.10 Km.	68.48	480.992	5.079	10.822	496.893
8	Barsoi	Barsoi	Construction of HL RCC Bridge from Ganjan to Vibhor Hat road at CH.1.720 Km.	38.72	343.89	4.96	7.738	356.588
			कुल	326.17				2804.279

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4 (मु०) रा० यो०-07-11/2023 के पृष्ठ संख्या-72/टि० पर प्राप्त है।
10. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका सं० मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृ० सं०-11/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक 25.04.2025 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-25-04-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103- ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)- उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के नवादा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रजौली, फूलपरास, दरभंगा-2, दलसिंहसराय, बेगूसराय, झंझारपुर एवं बारसोई के अधीन (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 08 (आठ) पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 326.17 मी० के निर्माण की राशि 2804.279 लाख (अठारस करोड़ चार लाख सताईस हजार नौ सौ रुपया मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख ₹० में)	अनुसंधान मद की राशि (लाख ₹० में)	कटिजंसी की राशि (लाख ₹० में)	कुल राशि (लाख ₹० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajauli	Akbarpur	Construction of HL RCC Bridge Over Khuri river in Gram Panchayat-Bakshanda	45.37	422.449	8.409	9.505	440.363
2	Phulparas	Ghoghardih a	Construction of HL RCC Bridge Over Sugarway river in 300m D/s of Sugarway Weir between Araria and Ghoghardiha road	34.26	377.312	6.474	8.489	392.275
3	Darbhang-2	Singhwara	Construction of HL RCC Bridge at T02 to Palgambarpur path	30.14	295.552	1.707	6.650	303.909
4	Dalsinghsara i	Sarairanjan	Construction of HL RCC Bridge in Rampur (Jeetwarpur Kumihara Panchayat) from NH-322 to road Connecting Udupatti Via Lalchowk	38.76	360.322	1.742	8.107	370.171
5	Begusarai	Birpur	Construction of RCC HL Bridge (4x12.50) over river Kornuma at Saraunja village in Between Birpur and Laxmipur under Birpur block in district of Begusarai	52.44	361.300	2.180	8.130	371.610
6	Begusarai	Matihani	Const. of Puliya from Shahpur Prathmik Vidyalaya road to NH-31 Lakho	18.00	69.98	0.91	1.58	72.47
7	Jhanjharpur	Madhepur	Construction of HL RCC Bridge in Karhara to Malleh road over Bhutia Balan river Ch-2.10 Km.	68.48	480.992	5.079	10.822	496.893
8	Barsoi	Barsoi	Construction of HL RCC Bridge from Ganjan to Vibhor Hat road at CH.1.720 Km.	38.72	343.89	4.96	7.738	356.588
			कुल	326.17				2804.279

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4 (मु०) रा० यो०-07-11/2023 के पृष्ठ संख्या-72/टि० पर प्राप्त है।
10. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका सं० मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृ० सं०-11/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 के पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक 25.04.2025 को प्राप्त है।
12. ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उद्व्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-25-04-2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)-रा० यो०-27/2025 1515

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव